भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3135

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

डीडीए को भूमि का अंतरण

3135. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली के शहरीकृत गांवों की ग्राम सभा की भूमि, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अंतरित की गई है, का उपयोग केवल गाँव के लोगों की सुविधा और विकास के लिए करने का कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि देश भर में ग्राम सभा की भूमि का उपयोग केवल गांव के लोगों की सुविधा और विकास के लिए किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति बनाई जा रही है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने दिसंबर 2023 में दिल्ली ग्रामोदय अभियान (डीजीए) शुरू किया था। इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य डीडीए को अंतरित ग्राम सभा क्षेत्र निधि का उपयोग करके शहरीकृत गांवों/नए शहरी क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना का विकास और निर्माण करना है।

(ख) और (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में सिविल अपील संख्या 1132/2011 @ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3109/2011 में अन्य बातों के साथ-साथ देश की सभी राज्य सरकारों को निदेश दिए हैं कि वे ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/पोरम्बोक/शामलत भूमि पर अवैध/अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए योजनाएं तैयार करें और इन्हें गांव के ग्रामीणों के सामान्य उपयोग के लिए ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को वापस कर दिया जाना चाहिए।

दिल्ली के संबंध में, पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग IX के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर लागू नहीं होते हैं और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अब शहरीकृत हो चुके हैं। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार, यदि कोई पूरा गाँव सभा क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल नहीं रहता है, तो उस अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना के आधार पर, उस क्षेत्र के लिए गठित गाँव सभा भंग हो जाएगी और ऐसे विघटन पर, ऐसे विघटन से ठीक पहले गाँव सभा में निहित सभी चल और अचल संपत्तियाँ, ऐसी गाँव सभा द्वारा उपयोग, उपभोग या कब्जे में लिए गए किसी भी प्रकार के सभी अधिकारों सहित, केंद्र सरकार में निहित हो जाएँगी।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार, केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए संघ में निहित दिल्ली में सभी या किसी भी विकसित और अविकसित भूमि को डीडीए को सौंप सकती है।

******